

The 811th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 15th July, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

- Fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- In all cases the project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024, MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 & O.M. dated 26.05.2025 wrt plantation, comments of MPPCB and violation cases respectively.

After the above discussion the H'ble Chairman invited the Project Proponents Environmental Consultants for presentation according to scheduled agenda.

1. **Case No 10457/2023 Shri Pradeep Khare, Owner, M/s Golden Stones, R/o Jawahar Road, Nowgaon, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for M/s Ghura Stone and M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-40000, M-Sand-35000 cum per year) (Khasra No. 357), Village-Ghura, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP) [538227] [DEIAA] (EIA)**

Earlier this case was discussed in 679th SEAC meeting Dated 14/09/2023 wherein ToR was Recommended

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/07/2025 को ईआईए का प्रस्तुतीकरण परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Ram Milan Pathak Visiontech Environment

and Survey Works Pvt. Ltd.उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	M/s GOLDEN STONES, Jawahar Road, Nowgaon, District Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	357 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Ghura Tehsil Rajnagar District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1614 दिनांक 09/04/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर स्थापित नहीं।	
टॉर	सेक की 679वीं बैठक दिनांक 14/09/23 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 1748 दिनांक 17/10/23 के द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-35,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No 21406 दिनांक 31/10/2023 द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 31/12/25 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-35,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-35,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1424 दिनांक 24/09/16 के द्वारा पत्थर-75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 756 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 30.750 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 756 दिनांक 12/04/23 अनुसार नेशनल पार्क (पन्ना टाईगर रिजर्व) की दूरी 6.5 कि.मी. एवं घोषित जैव	

	विविधता क्षेत्र (वायोस्फियर रिजर्व) की दूरी 0.580 कि.मी. की दूरी पर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 756 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घूरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/02/11 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर पत्थर खनन का प्रस्ताव पारित ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— Kachha Road-109 m दक्षिण पूर्व दिशा— Pucca Road-555 m
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है, चूँकि प्रकरण नया एवं बी-1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :—

- **EIA Page no 30-67 TOR compliance Page 31 TOR No. 4,9,14,16,28III, Page 40,41,46,66, requires proper replies with reference to EIA chapter and para. EIA Page no 11 mine lease area mentioned as 3.0 hectare, Page no. 13, gaseous pollution limit for NOx is mentioned as 100 micro gram per Nm3, Page no 15 dust control measures para second line reveals pollution from crusher/ beneficiation plant, please incorporate proper reply.**

- EIA Page no 119 Gw1-Gw8, type of water source and Sw5 water source name is required. Page no 130 /para 3.9.5, observation for surface water along with geotag photograph are required. Page no 234-EMP budget Sn. 18 rupees 1.5 lakhs is proposed for crusher? pl clarify. Geotag photograph for support of base line study parameters viz. AAQ, noise, surface water, underground water, soil are required as per TOR compliance mentioned in the EIA report.
- Compliance of DEIAA, EC's conditions mainly status of Fencing, barrier zone protection, plantation, garland drain, settling tanks, CER related authentic documents and geotag photograph are required.

2. Case No P2/1589/2025 Lalita, Lessee, R/o- 108, Yashwant Nagar Indore, District-Indore, M.P Prior Environment Clearance for M/s Kanakhedi Harbans Stone (Gitti& M-sand), Stone (Gitti) in an area of 4.0 ha. (Gitti – 30,000 cum per year (Khasra No. 279 Govt. Land), Village- Kanakhedi Harbans, Tehsil – Mahidpur, District- Ujjain (MP) [538235] (Fresh B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है। जिसमें आज दिनांक 15/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शिशुपाल वर्मा, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	ललिता, निवासी 108 यशवंत नगर, इंदौर (म0प्र0)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	279 (सरकारी भूमि)	4.0 hectare.
स्थल	ग्राम कानाखेडी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म0प्र0)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेशके सैधांतिक पत्र क्रमांक 9210 दिनांक 22/08/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:21882, दिनांक 02/05/2025	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 2502 दिनांक 27/9/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 2502 दिनांक 27/9/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 2502 दिनांक 27/9/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 2502 दिनांक 27/9/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डोगला जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2024 दिनांक 12/7/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 06 पेड़ हैं जो कि नहीं काटे जायेंगे
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा: उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में 70 मीटर पर एक कच्चा रोड स्थित है ।
	पूर्व दिशा -उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्व दिशा में 500 मीटर पर मानव बसाहट स्थित है ।
	पश्चिम दिशा: उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में 100 मीटर की दूरी पर तालाब स्थित है एवं अनुमोदित खनन योजना के अनुसार उत्खनिपट्टे में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 2502 दिनांक 27/9/2024 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में वनी है, एवं उक्त खनिपट्टा तत्पश्चात स्वीकृत हुआ है, आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जावेगी उसमें सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण में चर्चा के दौरान तालाब के सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकर द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे क्षेत्र की खसरा पांचशाला के कॉलम क्रमांक 12 में उल्लेखित है कि न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन के क्रमांक 167/अ-2017-18 आदेश दिनांक 06/08/2018 न्यायालय नायब तहसीलदार महीदपुर के अमल आदेश दिनांक 12/10/2018 से तालाब के स्थान पर खदान मुरुम परिवर्तन किया गया ।

समिति द्वारा चर्चा के दौरान प्रस्तावित उत्खनिपट्टे के खसरे नक्शे के अवलोकन में यह पाया गया कि स्वीकृत उत्खनिपट्टे से तालाब की दूरी 100 मीटर है पर्यावरण सलाहकर द्वारा बताया

गया कि अनुमोदित खनन योजना के अनुसार उत्खनिपट्टे में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा। इसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान ग्राम पंचायत डोंगला द्वारा जारी प्रमाणीकरण पत्र क्रमांक 61 दिनांक 02-06-2025 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रमाणित किया गया है कि पूर्व में ग्राम पंचायत एवं स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा शासकीय कार्य हेतु मुरुम निकली गयी थी एवं उत्तर पश्चिम में जल भराव से न्यूनतम दूरी 100 मीटर है। उक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तालाब कि तरफ गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक बनाये जाये एवं धुल के उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में विंड ब्रेकिंग वाल लगायी जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी –30000 घनमीटर/वर्ष, एम् सैंड –30,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.73 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.89 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.70 लाख तथा सी ई आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 5.0 kw capacity will be installed by project proponent and Navgrah Vatika will be developed at Govt. Middle school of Kheda Khajuriya.	1,70,000/-
योग		1,70,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण।

3. **Case No P2/1115/2024 Dr Pranjal Patel MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE-MPCC 21, E block, Panki Kanpur Nagar, KANPUR NAGAR, UTTAR PRADESH, Bhatiya Tiraha, 208020 Prior Environment Clearance for M/s Medical Pollution Control Committee, Common Bio Medical Waste Treatment Facility for treatment of 250 kg per hour with static Incinerator Plot no.7 ODD TYPE Sector A in Jambar Bagari, District Vidisha (Madhya Pradesh) by M/s Medical Pollution Control Committee. [538307] (B2)**

प्रकरण आज सेक की 811वीं बैठक दिनांक 15/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

4. Case No P2/1590/2025 Nidhi Bukhariya, Lease Owner, R/o- 12/377, Near Bukhariya Computers, Kotwali Pradhanpura, District Tikamgarh M.P. Prior Environment Clearance for M/s VIJAYPUR M-SAND MINE ,Stone Mine in an area of 4.00 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 1(P),2/2(P)) Village Vijaypur, Tehsil-Mohangarh, District-Tikamgarh (M.P.). [537631] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स ASERIES ENVIROTEK INDIA PRIVATE LIMITED, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Nidhi Bukhariya, Lease Owner, R/o- 12/377, Near Bukhariya Computers, Kotwali Pradhanpura, District Tikamgarh M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1(P),2/2(P) (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Vijaypur, Tehsil-Mohangarh, District-Tikamgarh (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1860 दिनांक 22/01/21 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Non-Blasting.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट/क्षमता विस्तार ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर स्थापित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No. 22731 दिनांक 13/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 08.05.2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-70000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-70000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4469 दिनांक 13/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र	

अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	क्रमांक 4469 दिनांक 13/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4469 दिनांक 13/02/23 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4469 दिनांक 13/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मडखेडा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 06/07/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Exising - No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा- Kachha Rasta- 570m
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4469 दिनांक 13/02/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन डीएसआर में जोड़ी जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-70000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.65 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.67 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 18.65 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक पाठशाला पुंछी में मरम्मत/ अधोसंरचना विकास एवं बालक – बालिकाओं हेतु अलग अलग शौचालय का निर्माण	1,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1980 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

5. Case No P2/1576/2025 Vijay Kumar Pathak, Director, alliance quarries mines private limited, Ambodiya, tehsil-ghattiya, dist-Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Ambodiya Stone Quarry For Gitti and M-Sand, Stone, Gitti and M-Sand in an area of 1.70 ha. (Stone – 32000 cum per year, Gitti – 6400 cum per year and M-Sand – 25,600 cum per year (Khasra No. 510,2,1, 511, 598), Village- Ambodiya, Tehsil – Ghattiya, District- Ujjain (MP) [519648] (B2)

प्रकरण आज सेक की 810वीं बैठक दिनांक 12/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

6. Case No P2/1578/2025 Vikas Yadav, Owner, R/O - Ward no25, Mamon Darwaja, Tikamgarh, M.P. Prior Environment Clearance for M/s AMARPUR MURUM QUARRY , Murrum Mine in an area of 2.00 ha. (17248 cum per annum) (Khasra No. 46) Village- Amarapur, Tehsil – Tikamgarh, District - Tikamgarh (M.P.). [520966] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती स्वाति नामदेव, M/s AGS Environmental Services Pvt. Ltd उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Vikas Yadav, Owner, R/O - Ward no25, Mamon Darwaja, Tikamgarh, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	46 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Amarapur, Tehsil – Tikamgarh, District – Tikamgarh (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 3446-51 दिनांक 15/03/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Not Applicable	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No. 22721 दिनांक 13/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 31/03/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरुम . 17248 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरुम 17248 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 21/06/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 21/06/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 21/06/24 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 21/06/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आलमपुरा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-18 दिनांक 02/10/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा- पक्का रोड 405 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा- आबादी 468 मी.
	पूर्व पश्चिम दिशा- आबादी 429 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा- कच्चा रोड 55 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 21/06/24 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 17248 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.12 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 1.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय स्कूल अमरपुर में 3.0 किलोवाट सोलर प्लांट की स्थापना	1,20,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

7. Case No P2/1591/2025 ARPIT GAUR, LEASE OWNER, gram khardu badi, khardu chhoti, District-Jhabua (M.P.). Prior Environment Clearance for M/s KHARDUBADI STONE MINE , Stone (Gitti) and M-San in an area of 1.650 ha. (Stone (Gitti) – 14,550 m³/Year) (Khasra Number- 8, 10, 14/2 (Govt. Land) Village Khardubadi, Tehsil Rama, District Jhabua (M.P.) [538530] DEIAA to SEIAA Case -(B2).

izLrkfor खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव Online एवं श्रीमती मीना चौरसिया, एफएई, M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्पित गौड़, लीज ओनर, ग्राम खरडुबडी, तहसील रामा, जिला झाबुआ	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	8, 10, 14 (सरकारी भूमि)	1.65 hectare.
स्थल	ग्राम खरडुबडी, तहसील रामा, जिला झाबुआ	
लीज स्वीकृति	1045 dated 27/06/2019 validity (19/10/2019 -18/10/2029)	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित त है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- EC Letter no. Kr. No. 82/DEIAA/2017, Jhabua, Dated 19.07.2017. Production - 14,550 Cum/year.	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर izLrkfor त नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:15438, दिनांक 23/12/2021	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन - 14550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन - 14550 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 668 दिनांक 27/7/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 3.65 हे होता है । अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 668	

अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	दिनांक 27/7/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 668 दिनांक 27/7/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 668 दिनांक 27/7/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, लगभग 400 मीटर की दूर पर स्थित है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत खरडुबडी, जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27/12/2018 द्वारा नवीनीकरण हेतु
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing-06
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा- आबादी 444 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0 20 के सरल क्रमांक 49 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 06 पेड़ हैं जो नहीं काटे जायेंगे। पूर्व में इस लीज क्षेत्र को डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, बेरियर जोन खुदा होने के कारण इसके रीस्टोरेशन का कार्य किया गया है जिसकी पुष्टि जिला खनिज अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 530 दिनांक 02/07/2025 के द्वारा की गई है। पत्र द्वारा लेख किया गया है कि ग्राम खरडुबडी शासकीय खसरा नंबर 8.10.14 रकबा 1.65 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 02.07.2025 को किया गया जिसमें बैरियर क्षेत्र भराव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं भराव उपरांत वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाना पाया गया जो संतोषप्रद है उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रिम का कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
---	----------------------------------

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया लेंथ 656मी. में से केवल 50 % (328m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है। शेष अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 100 पौधे लगाये जाने थे अतः 100 पौधे 7.5 मी.बैरियर जोन में लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल लीज एरिया लेंथ 656मी. में से केवल 253मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	पिट्स अवलोकित नहीं है।
पौधारोपण की स्थिति	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 100 पौधे लगाये जाने थे अतः 100 पौधे 7.5 मी.बैरियर जोन में लगाये गये हैं।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	पीपी द्वारा अवगत कराया गया है कि CER गतिविधि के तहत षडिनांक 10.02.2023 शासकीय प्रथमिक शाला में खरडूबाडी 50 नोट बुक, 20 दर्जन कम्पाक्स बोक्सए 50 पैन, कलर का वितरण व आदर्श आंगनवाडी केन्द्र खरडूबाडी के बच्चों में 50 बैग, 75 लंच बोक्स, 20बॉक्स पेंसिल, रबड, का वितरण करवाया गया है। जिसका बिल व छायाप्रति संलग्न है।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	Total Area- 9733.33Sqm x 6.00m = 58399.98Cum

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- लीज क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र अंतर्गत होने से ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापत्ति/अभिमत प्राप्त की जावे। समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर योजना प्रस्तुत करे।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

8. Case No P2/1583/2025 Devendra Raghuvanshi S/o Late Shri Balakram Raghuvanshi Pachama, Post-Bhamori Bhunari, Udaipura District - Raisen (M.P) Prior Environment Clearance for M/s "Dungariyakalan Crusher Stone Quarry" Area 2.00 Hectare, Khasra No. 57 (Pvt. Land) Production Capacity 12,000 M³ / year, Village – Shobhapur, Tehsil – Udaipura, District – Raisen (M.P.) (DEIAA to SEIAA Case) (B2) [534359].

The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-2, in which today on 15/07/2025 the Project Proponent Shri Devendra Raghuvanshi. and his Environmental Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. InSitu Enviro Care, Bhopal. and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent	Devendra Raghuvanshi S/o Late Shri Balakram Raghuvanshi Pachama, Post-Bhamori Bhunari, Udaipura District - Raisen (M.P)	
Khasra No. Area (Government/Private)	57 Pvt land	2.000 ha
Location	Village – Shobhapur, Tehsil – Udaipura, District – Raisen (M.P.)	
lease approval	Order 43/khanij/2017 date:16/01/2018 (2537 dated 15/03/2025 validity 26/03/18- 25/03/2028)	
DEIAA CASE	YES	
Blasting/Rock Breaker	Controlled Blasting	
crusher status	Proposed in the In mining lease area.	
CTO	Outward No:3357,22/04/2025, Consent No:AW-129566, PCB ID: 116821	
Production capacity	12000 m ³ /year	
Other mines within 500 meter radius	According to the Ekal certificate number 04 dated 02/04/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Raisen, आवेदित क्षेत्र आरक्षित / संरक्षित वन खण्डों में शामिल न होकर राजस्व क्षेत्र में स्थित है। आवेदित क्षेत्र वन सीमा कक्ष कमांक पी.एफ.-1000 से 2200 मीटर दूर स्थित है।	
Distance from National Park/Sanctuary/SE Z to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal certificate number 04 dated 02/04/2025 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District Raisen there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.	
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	According to the Ekal certificate number 04 dated 02/04/2025 of Office Collector (Mineral Branch) District Raisen there is no forest area within the radius of 250 meters.	

Tehsildar's objection	no	As per Ekal certificate No. 04 dated 02/04/2025 of the office of Collector (Mineral Branch) District Raisen within a radius of 500 meters there is no human settlement, educational institution, hospital, archaeological heritage, monument of national importance, railway line / public building / cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: radio station, Doordarshan, airport, defense institute and aquatic body / river / pond / dam / stop dam / canal / rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat		As per the resolution proposal number 01 dated 18/07/2017 of Gram Panchayat dhaulashree, District Raisen the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site		Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति		परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0 16 के सरल क्रमांक 81 पर दर्ज है ।

1. Dungariyakalan Stone Quarry is an existing mine having DEIAA EC vide letter no. 369/DEIAA /2018 Raisen Dated 26/06/2018 with an approved production capacity 12000 cum/year.
2. The lease is valid for a period of 10 years, from 26.03.2018 to 25.03.2028. Till date, a total of 50,250 cubic meters of mineral has been excavated from the lease area.
3. The primary mining lease was originally granted in favour of Shri Balakram Raghuvanshi, resident of Pachama, Post-Bhamori Bhunari, Tehsil Udaipura, District Raisen (M.P.), vide letter no. 43/Khaniij/2017 dated 16/01/2018, for a period of 10 years.
4. Following the demise of Shri Balakram Raghuvanshi, the lease has been transferred to Shri Devendra Raghuvanshi, son of Late Shri Balakram Raghuvanshi, vide letter no. 2537/Khaniij/2024 dated 15/03/2024, for the remaining lease period.
5. Mining Scheme has been approved by Director of Geology & Mining, Bhopal, Vide Letter No. 40116 Dated 06/09/2024 with production capacity 12,000 cubic meter per year.
6. हमारे द्वारा 50 फलदार पेड़ आस-पास के गांवों (टुंगरिया कलां व बिजनहई) में ग्रामवासीयो को वितरित कर दिए हैं, हमारे द्वारा पहले ही माइन क्षेत्र पर लगभग 100 पेड़ लगाए गए हैं। हमारे द्वारा कुल 2,400 पेड़ लगाने का प्रावधान है॥

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र के बैरियर जोन में लगे हुये पेड़ों में से कोई भी पेड़ नहीं काटे जायेंगे एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक कच्चा रोड 15 मी. की दूरी पर है अतः 35 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है तथा पूर्व दिशा में 500 मी. से अधिक दूरी पर कुछ शेड हैं। क्लस्टर प्लांट लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यो संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार केशर से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संशोधित ईएमपी एवं सीईआर योजना प्रस्तुत करे।

9. **Case No. 10443/2023, Raj Singh Parihar, S/o Shri Yuvraj Singh Parihar R/o Tagore Ward, Gandhi Nagar, Betul District: Betul, Madhya Pradesh, Validity extension of Environment Clearance for Sarad Stone Quarry in an area of 1.50 ha., [Stone-11400m³/year], (Khasra No. 1320, Village- Sarad, Tehsil- Betul, District- Betul (M.P.) [533701] (EC Validity Extension).**

खदान पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता वृद्धि का है, जिसमें आज दिनांक 15.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शिशुपाल वर्मा FAE M/s. सुपर टेक एनवायरनमेंटल सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

Project details			
Online Proposal no.	SIA/MP/MIN/533701/2025		
Proposal/activity Name	Shri Raj Singh Parihar S/o Shri Yuvraj Singh Parihar R/o Tagore Ward, Gandhi Nagar, Betul District: Betul Stone Gitti Mine Validity Extension of existing Environmental clearance for Sarad Stone Quarry in an area of 1.50 ha (pvt land) Production capacity: 11400 cum/yr Stone at khasra no. 1320, Village: Sarad, Tehsil: Betul Distt: Betul (M.P) Validity Extension of EC		
Application for	Application for validity Extension of EC -Form 6		
Legal Status	Individual		
EC status	MP-SEIAA case no 10443/2023 EC letter issued EC identification no. EC24B001MP152648 dtd: 06-05-2024 (Stone Quarry in an area of 1.50 ha for the production capacity 11400 cum/yr Stone		
CTO details	AW-16920 Date of consent issued: /11/2023 Validity of consent: 19-09-2025		
Description of project	Project Sarad Stone Quarry, case no 10443/2023 at district Betul has obtained the EC from MP SEIAA EC identification no. EC24B001MP152648 dtd: 06-05-2024. Now, the lease has renewed by Collector office Mining department Betul vide letter no 481 dtd 26-03-2025 and in order to this we are applying for the extension of the validity of EC on the basis of renewal of the lease period.		
Lease details	Previously Lease sanctioned for validity from 14-07-2015 to 13-07-2025, Later the lease principally renewed by Collector Office Mining Department through letter no. Khanij-1/2025/481 Betul dtd 26/03/2025 for period 14-07-2025 to 13-07-2035) .		
Gram Panchayat NOC	Gram Panchayat Sarad NOC no. 4 dtd 17-08-2013		
Mine Plan Approval	Mining Plan approved by DGM Bhopal dtd 18/05/2025 (Online)		
Production	Namer of the Product	Capacity	Unit

Quantity (M ³ /Y)	Stone	11400	Cum/yr
DSR details	Name of Mine in Approved district Survey Report Betul at page no16 Sr.no 2		
Environmental consultant	Mr Shishupal Verma FAE Super Tech Environmental Services Bhopal Certificate no NABET/EIA/25-28/IA 0151 valid January 30, 2028		

- Initially lease was granted by Directorate of Geology & Mining Bhopal Madhya Pradesh for the lease validity **14-07-2015 to 13-07-2025**.
- EC was issued to us by MP-SEIAA EC identification no EC24B001MP152648 dated 06-05-2024 **for the production capacity of 11,400 cum/yr Stone by MP-SEIAA**.
- Later the lease was principally renewed by Collector office Khanij Shakha Betul vide letter no Khanij-1/2025/481 betul dtd **26-03-2025 for the upcoming 10 years (14-07-2025 to 13-07-2035)**
- The mining plan renewal was approved on dtd **18-05-2025** for next 5 years & PP has applied for the extension of existing EC validity on parivesh portal through **form-6 on dtd 22-05-2025** having proposal no. SIA/MP/MIN/533701/2025.
- PP is requesting to extend the validity of the EC for project Sarad stone quarry up to the further lease period i.e from **(14-07-2025 to 13-07-2035)**
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र पर पूर्व में 100–120 पौधे लगाए गए थे एवं वर्तमान में 100 नवीन पौधे खदान पर लगाए गए। इसके अतिरिक्त आस पास के ग्राम वासियों को जैसे सराद, कनारा, चीचढाना एवं अन्य ग्रामो के ग्रामवासियों को 1000 से ज्यादा पौधे वितरित किये जा चुके हैं।
- इसके अतिरिक्त माध्यमिक शाला कनारा, में 60–70 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की गयी है एवं गारलैंड ड्रेन का निर्माण किये गया है एवं इसके अतिरिक्त सेटलिंग टैंक का निर्माण किया गया है जिसके जी पी एस कोऑर्डिनेट्स वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा CSR के तहत:**
 - एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला में विकास कार्य हेतु 15000 रुपए की राशि प्रदान की गयी है। जिसकी रिसिप्ट प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत की गयी।
 - पूर्व में ग्राम में पानी की व्यवस्था हेतु हैंडपंप लगवाया गया एवं उसके आस पास पानी निकासी हेतु उचित व्यवस्था की गयी।

- 3) ग्राम कनारा, ग्राम चीचढाना में शासकीय माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए कॉपी किताब , पेन पेंसिल, लंच बॉक्स, बस्ते, दरी, कुर्सियां आदि उपलब्ध करवाए गए जिसके सम्बन्ध में स्कूल द्वारा प्रमाणीकरण एवं जी पी एस कोऑर्डिनटस वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए ।
- 4) ग्राम की नालियों की मरम्मत करवाई गयी जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सराड़ द्वारा प्रमाणीकरण एवं जी पी एस कोऑर्डिनटस वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए ।
- 5) ग्राम पंचायत भवन एवं आस पास के ग्रामों के मंदिरों की एवं बाउंड्री वाल की मरम्मत करवाई गयी जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सराड़ द्वारा प्रमाणीकरण एवं जी.पी.एस कोऑर्डिनटस वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए ।
- 6) ग्रामवासियों के बेहतर आवागमन के लिए ग्रामीण सडकों की मरम्मत करवाई गयी जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सराड़ द्वारा प्रमाणीकरण एवं जी पी एस कोऑर्डिनटस वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए ।
- 7) शासकीय प्राथमिक शाला कनारा की पुताई एवं बाउंड्री वाल की मरम्मत एवं पुताई करवाई गयी जिसके सम्बन्ध में विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण एवं जी.पी.एस कोऑर्डिनटस वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्तर पश्चिम दिशा में बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान ओवरबर्डन एवं मिटटी से भरे हुए (backfilling) एवं उक्त क्षेत्र पर वृक्षारोपण के जी.पी.एस कोऑर्डिनटस वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रखते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता लीज अवधि तक बढ़ाने की अनुशंसा करती है ।

10. Case No 10514/2023 Shri Ashwin Maru, Lessee, R/o Chota Bazar, Tehsil-Unhel, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for M/s Akyanajik Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Akya Najik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [538737] DEIAA to SEIAA (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अश्विन मारु, छोटा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	76 (सरकारी भूमि)	4.00 hectare.
स्थल	ग्राम आक्यानजिक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 15/1/2021 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर izLrkfor त नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) - 40000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) - 40000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 607 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं, जिसका कुल रकबा 14.00 हे होता है। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 607 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 607 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 607 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, लगभग 400 मीटर की दूर पर स्थित है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आक्यनजिक, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2020 दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area -01
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- डब्ल्यूबीएम रोड 400 मी.
	दक्षिण दिशा- पक्का रोड 470 मी
	पूर्व दिशा- पक्का रोड 310 मी.
	पश्चिम दिशा- आबादी 530 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

PP submitted that :-

- Initially the Letter of Intent has been issued for extraction of mineral Stone (Gitti) Under Rule 18 (2) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996 by District Collector (Khanij Branch) for 5 years order dated 05.01.2011 i.e. from 01.01.2011 to 31.12.15 in favour of Shri Ashvin Maru S/o Shri Satish Maru, R/o-Chota Bazar Ward No.13 Unhel, Tehsil Nagda, District Ujjain Madhya Pradesh.
- Thereafter lessee applied for lease renewal to competent authority on 31.12.2014. The same has been sanctioned Under Rule 6 (3) &

22 (3) and (Amendment on 23-03-2013)18, 42, 48 & 49 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rule 1996 by District Collector (Khanij) Branch Ujjain vide Letter No. 3130/U.P/N. Kra. 83/14/Khanij/2015-2016 dated 05.12.2015 for next 5 year's up to 31-12-2020. Thereafter lease renewal agreement has been executed for next five years from 01.01.2016 to 31.12.2020.

- After that lessee Shri Ashwin Maru again applied for lease renewal for a period of 10 years to competent authority on 19.03.2020. The same has been sanctioned by Directorate of Geology & Mining Department Bhopal (M.P) vide letter No. 860/Khanij/U.P/N. Kra.-13/2021 Bhopal dated 15.01.2021 for next 10 years from 01.01.2021 to 31.12.2030.
- The Modified Mining Plan & Progressive Mine Closure Plan has been prepared for purposed production of ROM 2,00,000 cum per annum, in which 1,50,000 of Stone (Gitti) & 50,000 of M-Sand cum per annum and submitted the competent authority under rule 42 (C) of Madhya Pradesh Mineral Rules 1996 for approval. The same has been approved by Regional Head Directorate of Geology & Mining Department, Indore vide letter No. 39295 dated 30.01.2024.
- Public Hearing was conducted on 23.10.2024 at time 12:00 P.M as per issued Terms of Reference by the SEIAA, Madhya Pradesh, Bhopal.

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

- भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 के अनुसार "एक पेड़ माँ के नाम" के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 100 प्रतिशत भाग के बराबर वृक्षारोपण किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत कुल 4800 पौधे लगाये जाएंगे, जिसमें 582 पौधे हरित पट्टी में, 430 पौधे परिवहन मार्ग के दोनों ओर एवं 3788 पौधों का वितरण पास के गांव में किया जाएगा। इसके लिए 520,800/- रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण आगे दिया गया है। पूर्व में हमने खदान के बहार 2200-2500 पौधे लगाये है।
- प्रस्तावित खदान एवं सम्पूर्ण कलस्टर में पडनी वाली अन्य 4 खदानों सहित ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया है ताकि आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे।

- वृक्षारोपण की योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार 582 पौधे छायादार हरित पट्टी में तीन पवित्तियों एवं 430 पौधे छायादार (430 मीटर) परिवहन मार्ग के दोनों ओर लगाए जाएंगे। तथा 3788 फलदार पौधे आसपास के ग्रामीणों को वितरित किए जाएंगे। मौजूदा वृक्षारोपण अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को साथ ईआईए में शामिल किया गया है। प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में हमने खदान के बहार 2200–2500 पौधे लगाये हैं।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :—

- प्रस्तुत ईआईए में जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के स्रोत, तथा टॉर शर्त अनुसार बेस लाइन डाटा स्टडी (एएक्यू, ध्वनि, जल गुणवत्ता, मृदा) के जियोटेग फोटोग्राफ। ईआईए में वर्कशॉप (249) का उल्लेख है, साथ ही वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट (179) प्रस्तावित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करते हुए ईएमपी में संसोधन करें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

11. Case No 10515/2023 Shri Ashwin Maru, Lessee, R/o Chota Bazar, Tehsil-Unhel, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for M/s Akyanajik Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 62/1), Village-Akya Najik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [538791] DEIAA to SEIAA (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अश्विन मारु, छोटा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	62/1 (सरकारी भूमि)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम आक्यानजिक , तहसील नागदा, जिला उज्जैन	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2500 दिनांक 27/9/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
लीज क्षेत्र में क्लेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्लेशर izLrkfor त नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) - 20000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) - 20000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 604 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 31.5 हे होता है । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 604 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 604 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।	

पर वन क्षेत्र की स्थिति	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के प्रमाण-पत्र क्रमांक 604 दिनांक 03/7/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आक्यनजिक, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2020 दिनांक 15/8/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area - No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- डब्ल्यूबीएम रोड 70 मी.
	पूर्व दिशा- पक्का रोड 300 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा- आबादी 600 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 14 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

PP submitted that :-

- Initially the Quarry lease extraction of Stone for crushing purpose has been granted in favour of Shri Ashwin Maru R/o-Chota Bazar Ward No.13 Unhel, Tehsil Nagda, District Ujjain Madhya Pradesh. Under Rule 18 (2) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996 by District Collector (Khanij Branch) for 5 year's up to 31.12.2014.
- Thereafter lessee applied for lease renewed for next five years to Competent Authority on 31.12.2014. The same has been sectioned Under Rule 6 (3) 22 (3) and (Amendment on 23-03-2013) 18, 42, 48 & 49 of Madhya Pradesh Minor Minerals Rules 1996 by District Collector (Khanij Branch) Ujjain vide

Letter No. 3130/U.P./N.Kra.83/14/Khanij/2015-16 Ujjain Dated 05.12.2015 for next five years from 01.01.2015 to 31.12.2020.

- Environment Clearance has been obtaining for District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), Ujjain its vide letter no. DEIAA/2016/2020 Dated 17.10.2016 for production of stone (Gitti) 20,000 Cum Per Annum.
- Thereafter again lessee applied for lease renewal for a next 5 years to Competent Authority on 19.03.2020. The same has been sanctioned Under Rule 6 (3) & 22 (3) (Amendment on 23.03.2013) 18, 42, 48 & 49 of Madhya Pradesh Minor Minerals Rules 1996 by District Collector (Khanij Branch) Ujjain vide Letter No. 3087/U.P./N.Kra.19/20/Khanij/2020-21 Dated 06.01.2021 for next 5 years up to 31.12.2024. The lease renewed agreement has been excuted on 17.02.2021 & registered on 22.2.2021 for next five years from 01.01.2020 to 31.12.2025.
- Public Hearing was conducted on 23.10.2024 as per issued Terms of Reference by the SEIAA, Madhya Pradesh, Bhopal.

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

- भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 के अनुसार "एक पेड़ माँ के नाम" के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 100 प्रतिशत भाग के बराबर वृक्षारोपण किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत कुल 2400 पौधे लगाये जाएंगे, जिसमें 472 पौधे हरित पट्टी में, 80 पौधे परिवहन मार्ग के दोनों ओर एवं 1848 पौधों का वितरण पास के गांव में किया जाएगा। इसके लिए 226,800/- रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण आगे दिया गया है। पुर्व मे हमने खदान के बहार 1300-1500 पौधे लगाये है ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टे के भीतर माला नालियों, कैच नालियों (424 मीटर और आयाम 1ग1ग1), गाद तालाबों (7 संख्या और आयाम 6ग3ग3) आदि का निर्माण किया गया है ताकि अपवाह को रोका जा सके और वर्षा जल को चैनलाइज़ कर संग्रहित किया जा सके। समय-समय पर सिलेटेशन पोण्ड की सफाई की जाती है, खासकर बरसात के मौसम से पहले। खनन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट को डब्लू. बी. एम. सड़क सुदृढीकरण के लिए काम में लिया जाएगा।
- प्रस्तावित खदान एवं सम्पूर्ण कलस्टर में पडनी वाली अन्य 7 खदानों सहित ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया है ताकि आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे। ड्रेनेज प्लान के अन्तर्गत माला नालियों (2000 मीटर और आयाम 1 • 1 • 1), एवं सिलेटशन

पोण्ड (20 संख्या और आयाम 6 • 3 • 3) का निर्माण किया गया है। जिसके लिए 7.58/- रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया था।

- स्थानिय ग्राम पंचायत के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार 472 पौधे छायादार हरित पट्टी में तीन पक्तियों एवं 80 पौधे छायादार (80 मीटर) परिवहन मार्ग के दोनों ओर लगाए जाएंगे। तथा 1848 फलदार पौधे आसपास के ग्रामीणों को वितरित किए जाएंगे। मौजूदा वृक्षारोपण अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को साथ ईआईए में शामिल किया गया है। प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में हमने खदान के बहार 1300-1500 पौधे लगाये हैं।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- प्रस्तुत ईआईए में जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग (81)के स्रोत, तथा टॉर शर्त अनुसार बेस लाइन डाटा स्टडी (एएक्यू, ध्वनि, जल गुणवत्ता, मृदा) के जियोटैग फोटोग्राफ। ईआईए में वर्कशॉप का उल्लेख है, साथ ही वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्रस्तावित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करते हुए ईएमपी में संसोधन करें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारों ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटैग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेंट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

12. Case No 9262/2022 Shri Sasi M.N., General Manager Administration, M/s SYMBIOTEC ZENFOLD PRIVATE LIMITED, Add. - 385/2, Pigdamber, Rau, Indore - (M.P.) -453331, Transfer of Environment Clearance from Manufacturing of Bulk drugs/active Pharmaceutical ingredients (Steroids/Hormones/General drugs like vitamins, antibiotics, antifungal, antiviral, antiparasitic etc.) / drug intermediates/chemicals / fine chemicals at 67 & 89, DMIC, Vikram Udyogpuri – Tehsil - Narwar, Distt. - Indore (M.P.) - 453331. Land Area - 12.5816 Ha., Product & Capacity Bulk Drugs and Intermediates - 1260 TPA, (located within notified industrial area). Cat. 5(f) Synthetic organic chemicals industry. SIA/MP/IND3/534239/2025. [FoR – EC Transfer] .

This case was presented by PP's Env Consultant Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.) for EC Transfer for Manufacturing of Bulk drugs/active pharmaceutical ingredients (Steroids/Hormones/General drugs like vitamins, antibiotics, antifungal, antiviral, antiparasitic etc.) / drug intermediates/chemicals / fine chemicals.

PP submitted following information on the Parivesh Portal:

Common Application Form -7		
SN	Projects Details	
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND3/534239/2025.
2.	Proposal /Activity Name/ Location of Project	Shri Sasi M.N., General Manager Administration, M/s SYMBIOTEC ZENFOLD PRIVATE LIMITED, Add. - 385/2, Pigdamber, Rau, Indore - (M.P.) -453331, Transfer of Environment Clearance from Manufacturing of Bulk drugs/active Pharmaceutical ingredients (Steroids/Hormones/General drugs like vitamins, antibiotics, antifungal, antiviral, antiparasitic etc.) / drug intermediates/chemicals / fine chemicals at 67 & 89, DMIC, Vikram Udyogpuri – Tehsil - Narwar, Distt. - Indore (M.P.) - 453331. Land Area - 12.5816 Ha., Product & Capacity Bulk Drugs and Intermediates - 1260 TPA, (located within notified industrial area). Cat. 5(f) Synthetic organic chemicals industry. FoR – EC Transfer Case. SIA/MP/IND3/534239/2025.
3.	Proposal For	Transfer of EC.
4.	SEIAA File No.	Case No. - 9262/2022.

		➤ EC recommended in 764 SEIAA meeting dated 29-12-2022. ➤ EC issued on dated 10/01/2023.					
5.	Project Cost.	35000 Lakhs.					
6.	CTE details	PCB ID: 150383, Consent No:CTE-57012, Consent to Establish till 31.10.2027.					
7.	Description of Project	Transfer of Environment Clearance from M/s. Symbiotec Lifesciences Pvt.Ltd. to M/s SYMBIOTEC ZENFOLD PRIVATE LIMITED , for Starting Material / Intermediate (9 OH Androstenedione, Androstadienedione, Androstenedione and Bisnor Alcohol) - 240.000 M.T,					
8.	Previous EC details	<u>MPSEIAA Case No. - 9262/2022. (EC Copy uploaded on Parivesh Portal).</u> ➤ EC recommended in 764 SEIAA meeting dated 29-12-2022. ➤ <u>EC issued on 10/01/2023.</u>					
9.	Transfer letter details	Director sign copy dated 11/04/2025 (<u>Copy uploaded on Parivesh Portal</u>).					
10.	No Objection from the transferor	Affidavit of M/s. Symbiotec Lifesciences Pvt. Ltd.- No objection Affidavit Copy uploaded on Parivesh Poetal dated 27/06/2024.					
11.	Undertaking by transferee Prior EC was granted.	Affidavit of M/s SYMBIOTEC ZENFOLD PRIVATE LIMITED .					
12.	Copy of Transfer of the firm from competent authority was granted.	Copy – uploaded on Parivesh Poetal Director sign copy dated 11/04/2025.					
13.	Date of latest consent issued	PCB ID: 150383, Consent No:CTE-57012, Consent to Establish till 31.10.2027. <table><tr><th>Product</th><th>Qty / year</th></tr><tr><td>Starting Material / Intermediate (9 OH Androstenedione, Androstadienedione, Androstenedione and Bisnor Alcohol)</td><td>240.000 M.T./Year.</td></tr></table>		Product	Qty / year	Starting Material / Intermediate (9 OH Androstenedione, Androstadienedione, Androstenedione and Bisnor Alcohol)	240.000 M.T./Year.
Product	Qty / year						
Starting Material / Intermediate (9 OH Androstenedione, Androstadienedione, Androstenedione and Bisnor Alcohol)	240.000 M.T./Year.						
14.	Validity of latest consent (valid up to)	Consent to Establish till 31.10.2027.					

The Committee after presentation asked PP to submit following information for further consideration of the project:

- Please upload Valid CTO along with notarized affidavit from new PP with undertaking that the transferee will bear the responsibilities for compliance of the conditions stipulated in the issued EC and shall be responsible for violations if any in the past.

13. Case No P2/1574/2025 Shri Kailash Singh Raghuwanshi, Designated Partner, Rishi Tradewing (India) LLP, 106 FH - Scheme No. 54, Indore, Vijay Nagar, MP 452010, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential cum Commercial Project M/s "Shekhar Global" by Rishi Tradewing (India) LLP Project at Khasra No.4/3/1/2, 4/3/1/3 at Village - Nipania Tehsil & District Indore (M.P.). Total Plot Area – 6,610 m², Net plot area – 5,819.02 m², Built-up area – 23,096.87 m², Shops -32, Cat. - 8(a). Building and Construction Projects. B-2.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential cum Commercial Project M/s "Shekhar Global" by Rishi Tradewing (India) LLP Project at Khasra No.4/3/1/2, 4/3/1/3 at Village -Nipania Tehsil & District Indore (M.P.). Total Plot Area – 6,610 m², Net plot area – 5,819.02 m², Built-up area – 23,096.87 m², Shops -32, Cat. - 8(a).

This case was presented by PP's Env Consultant Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.)

PP submitted following information on the Parivesh Portal:

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/539093/2024.
2.	Project Name/Activity	Shri Kailash Singh Raghuwanshi, Designated Partner, Rishi Tradewing (India) LLP, 106 FH - Scheme No. 54, Indore, Vijay Nagar, MP 452010, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential cum Commercial Project M/s "Shekhar Global" by Rishi Tradewing (India) LLP Project at Khasra No.4/3/1/2, 4/3/1/3 at Village -Nipania Tehsil & District Indore (M.P.). Total Plot Area – 6,610 m², Net plot area – 5,819.02 m², Built-up area – 23,096.87 m², Shops - 32, Cat. - 8(a).Building and Construction projects.
3.	Project Proposal For	New.
4.	Project Cost.	4500 Lakhs.
5.	Description of Project	M/s Rishi Tradewing (India) LLP is a firm and mainly involved in promoting the real estate developers, promoters, infrastructure developers & financiers. The management of the company has decided to develop a residential cum commercial project in Indore. The company has already acquired the Plot Area measuring 6,610

		m ² at Khasra No.4/3/1/2, 4/3/1/3 at Village Nipania Tehsil & District Indore (M.P.).
6.	Form 1A & Conceptual Plan	PP uploaded on Parivesh Portal 2.0
7.	Declaration	• PP Affidavit submit dated 24/03/2025 regarding No Construction start at project site Submitted(Uploaded on Parivesh Portal 2.0).
8.	Lat./Log.	22°46'20.14"N and 75°55'33.32"E.
9.	Building Hight	45 Meter.
10.	MSW NoC	PP Request letter submit dated 27/03/2025 (Uploaded on Parivesh Portal).
11.	Extra Treated water NoC	PP Request letter submit dated 27/03/2025(Uploaded on Parivesh Portal).
12.	T&CP Permission details	INDLP04102432894 date 04/12/2024.
13.	Total parking area	Open parking: 30 ECS Basement parking: 90 ECS Stilt parking: 49 ECS.
14.	Number of vehicle to be parked	169 No.
15.	Water requirement details	Total Water Requirement: 104.22 KLD Fresh Water Requirement: 57.17 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 47.05 KLD.
16.	Hence No. of pits required	2 Pits.
17.	DG set capacity	2 DG sets of total capacity 400 KVA (2×200 KVA).
18.	CTE details	PCB-ID : , CTE- , Date : / / .
19.	Environmental Consultant Change	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted the salient features of the project:

- M/s Rishi Tradewing (India) LLP has proposed the construction of a Residential cum Commercial project “Shekhar Global” at Khasra No.4/3/1/2,4/3/1/3 at Village Nipania Tehsil & District Indore (M.P).
- The total built-up area of the project is 23096.87 m².
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area $\geq$ 20000 m² and $<$ 150000 m²) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.
- The generated Excavation waste (Black cotton soil) will be used for green cover area of this proposed project & Rocks will be used for construction of internal roads at site, Levelling purpose and left out excavated material will be sold to authorized dealers.
- 2. Approximately 40 workers will be employed during the construction phase, generating about 4.5 kg/day of domestic solid waste, which will be sent to the municipal collection system for composting.
- 3. Temporary Toilets will be provided at the time of construction.
- 4. Covered vehicles will be used, material storage will be within the site boundary, regular water sprinkling will be done to control dust, and vehicle movement will be restricted to non-peak hours to reduce traffic disruption. & Only vehicles with valid Pollution Under Control (PUC) certificates will be allowed.
- Total power requirement of project: solar: 601 KW, Total power produced by solar panels: 180.3 KW
 - LED-based lighting systems will be provided throughout the building
- Installation of energy-efficient (BEE 4-star/5-star rated) appliances and HVAC systems.
- Provision of automatic sensors and timers for controlling lighting and equipment in common areas and service zones.
- Power Factor Correction (PFC) units to ensure efficient use of electrical power.
- Fly Ash Bricks/ Blocks will be used to enhance thermal insulation and reduce the embodied energy of construction materials.
- Low-VOC Paints and Adhesives will be applied to improve indoor air quality and minimize environmental impact.
- The entire building will be equipped with energy-efficient LED lighting to significantly reduce electricity consumption.
- Solar-powered lights will be installed in pathways and open areas to reduce dependency on grid electricity and promote the use of renewable energy.
- Additionally, 30% of the total power requirement will be met through solar energy.
- The Total Green Belt area proposed- 582 m² and 200 trees will be planted.

The Committee after presentation asked PP to submit following information for further consideration of the project:

- Proposal under CER for activities such as solar panels in nearby govt school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, vaccination, cattle's health checkup, Distribution of fruit bearing plants etc., in nearby villages shall be proposed.
- To upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the parivesh portal. Please upload Water NoC as per MP SEIAA OM dated 20/06/2019.

14. Case No P2/1586/2025 Shri Omnaman Sahu S/O Shri Santosh Sahu Address- Ward No. 15 Main Road, Batkakhapa, Tehsil- Harrai, Dist Chhindwara (MP) Prior Environment Clearance For M/S Anchalkund Crusher Stone Quarry Area 1.000 Hectare, Khasra No. 423, Prodcution Capacity Stone - 11,115 Cum Per Year, Village Anchalkund Tehsil Harrai District Chhindwara (MP)[523578] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मोहित रघुवंशी, M/s. Aegis Environment Research Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री OMNAMAN SAHU, Owner, Ward No.15, Main Road, Batkakhapa Tehsil Harrai District-Chhindwara (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	423 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Acharkund Tehsil- Harrai District Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1512 दिनांक 25/10/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण/क्षमता विस्तार।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिंदवाड़ा के Outward No:17522 दिनांक 01/05/2025 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 03/04/2026 तक है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-11115 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-11115 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2195 दिनांक 31/01/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2195 दिनांक 31/01/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2195 दिनांक 31/01/25 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2195 दिनांक 31/01/25 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आंचलकुण्ड जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 09/12/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 31/01/2025 के अनुसार उक्त उत्खनितपट्टा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र में आता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अध्यक्ष ग्राम सभा अचलाकुण्ड पेसा एक्ट जनपद पंचायत हरई के माध्यम से क्रमांक 09 दिनांक 09/12/2023 पेसा संबंधी अनापत्ति प्राप्त है।

पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में केवल कुछ झाड़ियाँ हैं एवं दक्षिण दिशा में स्टेट हाईवे 160 मी. की दूरी पर है अतः 40 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है। लीज के आस-पास पूर्व में कुछ खदाने अस्थाई परमीशन पर संचालित थीं, वर्तमान में कोई भी खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-11115 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
आंचलकुंड माध्यमिक शाला में 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट	1,20,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

15. Case No P2/1585/2025 Rishi Sharma, Lessee, R/o -90, Subhash marg, Khachrod Ujjain, M.P Prior Environment Clearance for M/s Pachlasi Stone Quarry for Gitti and M-Sand , Stone, Gitti and M-Sand in an area of 3.00 ha. (Stone – 15000 cum per year and Gitti – 4950 cum per year and M-Sand 10500 cum per year) (Khasra No. 1243 Govt. Land), Village- Pachlasi, Tehsil Kachroad District-Ujjain (MP) [525178] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सकसेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Rishi Sharma, Lessee, R/o -90, Subhash marg, Khachrod ,Ujjain	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1243 (सरकारी भूमी)	3.0 hectare.
स्थल	ग्राम पचलासी, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 3517 दिनांक 30/02/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण/क्षमता विस्तार ।	
लीज क्षेत्र में क्लेशर की स्थिति	क्लेशर लीज एरिया में प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) क्रमांक Outward No:21985 दिनांक 28/05/2025 है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता आरओएम-15000 घनमीटर/वर्ष, गिट्टी - 4950 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 10050 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-15000 घनमीटर/वर्ष, गिट्टी - 4950 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 10050 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 467 दिनांक 31/2/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, तः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र	

एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	क्रमांक 467 दिनांक 31/2/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 467 दिनांक 31/2/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 467 दिनांक 31/2/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पचलासी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2024 दिनांक 16/8/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड 30 मीटर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 467 दिनांक 31/2/2025 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में वनी है, एवं उक्त खनिपट्टा तत्पश्चात स्वीकृत हुआ है, आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जावेगी उसमें सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र के समीप एक ऑइल रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- निर्धारित स्थानवार मापदंड के अनुसार क्रेजर की लोकेशन सरफेस मेप तथा संशोधित ईएमपी एवं सीईआर योजना ।

16. Case No P2/1584/2025 Shri AMAN DEEP SINGH GUR, lease owner, R/o- Main Road, mahidpur road, District-Ujjain(M.P.) Prior Environment Clearance for M/s GOGAPUR STONE (GITTI) & M-SAND MINE , Stone and M-Sand in an area of 2.00 ha. (Stone - 12825 cum per year and M-Sand - 12825 cum per year) (Khasra No. 582/1), Village- Gogapur, Tehsil - Mahidpur, Distt. Ujjain (MP) [527211] DEIAA to SEIAA Case (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, On-line & Smt. Meena Chourasia , FAE M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri AMAN DEEP SINGH GUR, lease owner, R/o- Main Road, mahidpur road, District-Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	582/1 (सरकारी भूमी)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम गोगापुर, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्यप्रदेश के पंजीकरण दिनांक 10/3/2017	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया no. 82 dated 16/10/2017	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर izLrkfor त नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन - 12825 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 12825 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन - 12825 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 12825 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2382 दिनांक 11/9/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, तः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2382 दिनांक 11/9/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2382	

मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	दिनांक 11/9/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2382 दिनांक 11/9/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गोगापुर जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-16 दिनांक 21/9/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -02
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला-85 मी. पश्चिम दिशा-जल रोकने की संरचना – 305 मी. एवं पक्का रोड 436 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण उज्जैन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 67 सरल क्रमांक 09 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में दो पेड़ हैं जो नहीं काटे जायेंगे। समिति ने प्रकरण के प्रकरण परीक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में दो इलेक्ट्रिक टॉवर स्थित है चूंकि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से निर्धारित स्थानवार दूरी छोड़ने संबंधी अनापत्ति प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, परंतु परियोजना प्रस्तावक का स्वास्थ्य ठीक न होने से एवं कोविड के कारण वर्ष 2017 से 2024 तक खनन कार्य नहीं किया गया। अतः डिया की शर्तों का पालन नहीं किया जा सका।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- लीज क्षेत्र में दो इलेक्ट्रिक टॉवर स्थित है अतः मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से निर्धारित स्थानवार दूरी छोड़ने संबंधी अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें तथा संशोधित ईएमपी एवं सीईआर योजना प्रस्तुत करें।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई एक्सपेंशन प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

17. Case No. P2/1711/25, M/s Hardik Construction Company S.S.B (J.V) Project Manager Shri Shailendra Tripathi, R/o:A1/23 Eldeco Estate 1 Sector 40, G.T Roa Panipath, Haryana, Prior Environment Clearance for Dhamnichhoti Stone (Gitti&M-Sand) Quarry in an area of 4.00 ha., [Stone (Gitti)-1,00,000m³/year & M-Sand 50,000m³/year], (Khasra No.295 (Govt. Land), Village- Dhamnichhoti, Tehsil- Thandla, District- Jhabua (M.P.) (Fresh -B2) SIA/MP/MIN/540955/2025 (Temporary Permit).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति (अस्थायी अनुज्ञा) का है, जिसमें आज दिनांक 15.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शिशुपाल वर्मा FAE, M/s. सुपर टेक एनवायरनमेंटल सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स हार्दिक कंटेक्शन कंपनी, ए1/23 इल्डको स्टेट 01 सेक्टर 40, जीटी रोड पानीपत, हरियाणा	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	295 (सरकारी भूमि)	4.00 hectare.
स्थल	ग्राम धामनीछोटी, तहसील - थांदला, जिला झाबुआ (म0प्र0)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 509 दिनांक 13/05/2025 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित त है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण/क्षमता विस्तार।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर izLrkfor त है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No: 29197, दिनांक 10/06/2025	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) - 1,00,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) - 1,00,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 50,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 657 दिनांक 17/6/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 657	

अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	दिनांक 17/6/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 657 दिनांक 17/6/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 657 दिनांक 17/6/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत धामनीछोटी, ज.प. थांदला, जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक- 01 दिनांक 23/3/2025 के अनुसार दिये जाने हेतु पैसा एक्ट के ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है । इससे ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा उत्खनिपट्टे से उत्तर पश्चिमी दिशा में 450 मीटर की दूरी पर एक नदी गुजर रही है ।
	पूर्व दिशा -उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्व दिशा में 280 मीटर पर मानव बसाहट स्थित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के प्रमाण-पत्र क्रमांक 657 दिनांक 17/6/2025 आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जोड लिया जावेगा ।

प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रकरण में समिति द्वारा पाया गया कि उत्खनिपट्टे क्षेत्र में से एक रास्ता, पश्चिम दिशा लगभग 80 मीटर पर एक पुलिया परिलक्षित हो रही है, इसके अलावा उत्खनिपट्टे क्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्र में छोटे छोटे बंड परिलक्षित हो रहे हैं उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किये गए पटवारी हल्का क्रमांक 38 के पत्र दिनांक 27/06/2024 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि :-

- उत्खनिपट्टे क्षेत्र में परिलक्षित हो रहा रास्ता एक पगडण्डी है जो कि शासकीय पड़ती भूमि होने के कारण आस पास के किसानों एवं मवेशियों के आने जाने के कारण पगडण्डी जैसा बन गया है एवं यह किसी भी तरह का आमजन उपयोग हेतु कच्चा रास्ता नहीं है व ना ही इसका उल्लेख शासकीय रिकॉर्ड में है।

जिसके सम्बन्ध में जी.पी.एस कोआर्डिनेट वाले छायाचित्र भी प्रस्तुत किये गए जो की उल्लेखित स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हैं।

- उत्खनिपट्टा क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 80 मीटर की दूरी एक पुलिया समान संरचना परिलक्षित हो रही है जो कि स्थानीय किसानों द्वारा ही भूमि ऊबड़ खाबड़ (ऊंची-नीची) होने के कारण अपनी खेती किसानों की सुगम सुविधा अनुसार रपटा बना लिया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित किया गया कि यह रपटा किसी भी तरह का शासकीय रपटा/पुल अथवा किसी भी तरह की जल रोकने की संरचना नहीं है ना ही इसका किसी भी शासकीय दस्तावेजों में रिकॉर्ड है। यह किसानों द्वारा अस्थायी रूप से बनाया गया कच्चा रपटा है जिसके सम्बन्ध में जी.पी.एस कोआर्डिनेट वाले छायाचित्र भी प्रस्तुत किये गए जो की उल्लेखित स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हैं।
- उक्त स्वीकृत क्षेत्र में एवं आस पास के क्षेत्र में परिलक्षित हो रहे मिट्टी के बंड के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया गया कि स्वीकृत क्षेत्र एवं आस पास की भूमि उबड़ खाबड़ है जिसके कारण स्थानीय किसानों द्वारा मिट्टी इकट्ठा कर पानी रोकने हेतु कच्ची पाल बनायीं गयी है, एवं यह किसी भी तरह के स्टॉप डैम/जल रोकने की संरचना नाला आदि नहीं है ना ही किसी शासकीय योजना के तहत बनायीं गयी संरचनाएं हैं। जिसके सम्बन्ध में जी.पी.एस कोआर्डिनेट वाले छायाचित्र भी प्रस्तुत किये गए जो की उल्लेखित स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी –100000 घनमीटर/वर्ष, एम् सैंड –50000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.77 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 2.0 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 3.0 kw capacity will be installed at the village girls school Dhamnibadi.	1,20,000/-
2.	Educational paintings on the walls of the school with repairing of its building & science related equipment will be given to the same school along with this furnitures will be provided in the school.	80000/-
योग		2,00,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. **केशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेंड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।